



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3015]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 16, 2019/भाद्र 25, 1941

No. 3015]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 16, 2019/BHADRA 25, 1941

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 2019

**का.आ. 3299(अ).**— यतः, केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 6393 (अ), तारीख 31 दिसंबर, 2018 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या -233 के 65.870 कि.मी. से 122.270 कि.मी रुधौली से बस्ती तक का खण्ड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'प्राधिकरण' कहा गया है) को सौंपा है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "नियम" कहा गया है), के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उत्तर प्रदेश राज्य में रा. संख्या 233 के घाघरा पुल सेक्शन की ओर से रुधौली से बस्ती तक के डिजाइन किलोमीटर 65.870 कि.मी. से 122.300 कि.मी तक के उपयोग के लिए नीचे सारणी 1 के स्तम्भ (1) में दिए यांत्रिक वाहनो के प्रकार पर सड़क की निवल लंबाई 54.028 कि.मी. (95.740 कि.मी से 98.380 कि.मी तक के 2.64 कि.मी की सामान्य लम्बाई को छोड़कर) और 3.620 कि.मी की समकक्ष संरचना (जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है) (समकक्ष लंबाई 0.362 किमी) के लिए नीचे सारणी 1 के स्तम्भ (2) में दिए 60% की विनिर्दिष्ट दर से शुल्क उद्धृत करती है (यह भी उल्लेख किया जाता है कि यद्यपि परियोजना का आरंभ डिजाइन चैनेज उत्तरवर्ती परियोजना के घाघरा पुल से वाराणसी खण्ड के 121.800 कि.मी. के रूप में माना जाता है हालांकि यह उल्लेख किया जाता है कि रुधौली से बस्ती की तरफ घाघरा पुल सेक्शन के पहुँच मार्ग और घाघरा पुल से वाराणसी खण्ड परियोजना के बीच सड़क की लंबाई में

कोई ओवरलैप नहीं है) एवं प्राधिकरण को अपने अधिकारियों के माध्यम से अथवा संविदाकार के माध्यम से उक्त शुल्क को संग्रहीत करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात्:-

सारणी 1	
वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर (रुपए में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी संनिर्माण मशीनरी (एच.सी.एम०) या अर्थ मूविंग उपस्कर (ई.एम.ई) या बहुधुरीय वाहन (एम.ए.वी.) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकर वाले वाहन ( सात या अधिक धुरी वाले)	4.20

1. नीचे उद्धृत एवं संग्रहीत शुल्क, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा (प्लाजाओं) पर, ऐसे शुल्क प्लाजा (प्लाजाओं) के लिए विनिर्दिष्ट सड़क की लम्बाई हेतु शोध्य और संदेय होगा अर्थात्:

सारणी 2-			
शुल्क प्लाजाओं का अवस्थान (चैनेज)	प्रभावित सेक्शन (डिजाइन चैनेज)	सड़क की लम्बाई (किलोमीटर में) जिसके लिए शुल्क संदेय है	दर जिस पर शुल्क संदेय है
1	2	3	4
रारा -233 पर बस्ती जिले में अकसादा गांव के निकट 108.830 कि.मी. (डिजाइन चैनेज 108.025 कि.मी.) पर विद्यमान चैनेज	65.870 कि.मी. से 122.300 कि.मी. तक ( 95.740 कि.मी से 98.380 कि.मी तक के 2.64 कि.मी की सामान्य लम्बाई को छोड़कर)	54.028 कि.मी. ( 60मीटर से अधिक लम्बाई की संरचनाओं को छोड़कर)	ऊपर सारणी 1-में उल्लिखित आधार दरों का 60%

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित संरचनाओं, जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है, के उपयोग के लिए ऐसी संरचनाओं की लम्बाई को समकरण गुणक 10 से गुणा करके राजमार्ग की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित करते हुए, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा (प्लाजाओं) पर, निम्नलिखित शुल्क भी शोध्य और संदेय होगा:

सारणी -3			
शुल्क प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	सड़क की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित किए जाने हेतु संरचनाओं की लम्बाई (कि.मी. में)	सड़क की समकक्ष लम्बाई (कि.मी. में)	दर जिसपर शुल्क संदेय है
रारा -233 पर बस्ती जिले में अकसादा गांव के निकट	0.362 *	3.62	ऊपर सारणी 1-में उल्लिखित आधार दरों

108.830 कि.मी. (डिजाइन चैनेज 108.025 कि.मी.) पर विद्यमान चैनेज			का 60%
कुल लम्बाई	<b>0.362</b>	<b>3.62</b>	

\*60 मीटर से अधिक की लम्बाई वाली संरचनाओं का ब्यौरा निम्नलिखित है:

क्रम सं.	60 मीटर से अधिक की लम्बाई वाली संरचना			लंबाई (कि.मी. में)
	संरचना का अवस्थान (चैनेज कि.मी.)			
	से	तक	संरचना	
1	91.2447	91.3723	रोड ओवर ब्रिज	0.1276
2	90.600	90.7271	दो- लेन का फ्लाईओवर	0.1271
3	98.9650	99.0170	रारा -233 पर चार- लेन का फ्लाईओवर और शेष अर्थात् रारा-28 का 55.55 मीटर की लंबाई (चार लेन के पुल की लंबाई =107.55 मीटर )	0.10755
कुल				0.36225

- जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन, गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह शुल्क प्लाजा से बीस किलोमीटर तक की दूरी में ही रहता हो, उसके लिए वर्ष 2019-20 के लिए मासिक पास की दर 265.00/-रूपए) दो सौ पैसठ रूपए मात्र (होगी और उक्त नियमों के उपबंधों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जायेगा।
- राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किए जाएंगे, अर्थात्:

सारणी -4		
संदेश राशि	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	विधि मान्यता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	संदाय के समय से चौबीस घंटे
पचास और उससे अधिक एकल यात्राओं के लिए संदेश शुल्क की राशि का दो-तिहाई	पचास	संदाय की तारीख से एक मास

- जिस जिले में शुल्क प्लाजा पड़ता है उस जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के लिए वाहन के लिए विनिर्दिष्ट दर का 50% होगा बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो।
- जो यांत्रिक वाहन अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदा हुआ होगा उसके चालक अथवा मालिक अथवा प्रभारी व्यक्ति को ऐसे अधिक भार से लदे हुए वाहन को राष्ट्रीय राजमार्ग में प्रवेश कराने के लिए उक्त नियमों के नियम 10 के उप-नियम 1 ए के अनुसार शुल्क का भुगतान करना होगा और उसे राजमार्ग खण्ड का उपयोग करने की तब तक अनुमति नहीं होगी जब तक कि ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा न दिया जाए।
- यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट प्राप्त वाहनों की-श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं उक्त नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी।

- 8 उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा।
- 9 ऊपर सारणी-1 में यथा -उल्लिखित, आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क की आधार दर के आधार पर, यांत्रिक वाहनों से लिए जाने वाले वास्तविक शुल्क और कटौतियों की गणना प्राधिकरण द्वारा खंडों की पूरी कर ली गई लम्बाई के आधार पर की जायेगी और उसमें उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा तथा उसे, तदनुसार, अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के कम-से-कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।
- 10 इस परियोजना के पूंजीगत लागत का वर्तमान मूल्य 645.08 करोड़ रुपए है। पूंजी लागत में परिवर्तन हो सकता है क्योंकि भूमि अर्जन, जन-उपयोगिता सेवाओं का स्थान बदलने, पेड़ों की कटाई आदि जैसे क्रियाकलाप अभी पूरे किए जाने शेष हैं। अंतिम पूंजीगत लागत को अलग से अधिसूचित किया जाएगा। प्राधिकरण द्वारा प्रयोगकर्ताओं से वसूल किए गए शुल्क के जरिए पूंजीगत लागत की वसूली का रिकार्ड रखा जाएगा और पूंजीगत लागत की वसूली हो जाने के पश्चात, लगाए जाने वाले शुल्क की दरों को घटाकर 40% कर दिया जाएगा और उक्त नियमों के अनुसार इस में वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा।

[फा. सं. भाराराप्रा/13013/सीओ/ 18-19/जीसी – रुधौली-घाघरा]

प्रियांक भारती, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**  
**NOTIFICATION**

New Delhi, the 16th September, 2019

**S.O. 3299(E).**— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number SO 6393 (E) dated 31<sup>st</sup> December 2018 issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch from Rudhali to Basti section km 65.870 to km 122.270 of NH-233 in the State of Uttar Pradesh to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the “Authority”);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the “rules”), the Central Government hereby levies the fee on the type of mechanical vehicles in column (1) at sixty percent of the rates specified in column (2) of the Table 1 for net road length of 54.028 Km (excluding common length of 2.64 km from km 95.740 to km 98.380) and for equivalent structure length (having more than 60 m length) of 3.620 km (having length of 0.362 km) for the use of Rudhali to Basti side approach of Ghaghra Bridge Section from design Km 65.870 to Km 122.300 of National Highway No. 233 in the State of Uttar Pradesh (it is also mentioned that though the start design chainage of the project of succeeding project Ghaghra Bridge to Varanasi Section is considered as km 121.800, however, it is to mention that there is no overlap in road length between the Rudhali to Basti side approach of Ghaghra Bridge Section and Ghaghra Bridge to Varanasi Section project) and authorises the said Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:-

<b>Table-1</b>	
<b>Type of vehicle</b>	<b>Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)</b>
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee to be levied and collected hereunder shall be due and payable at the Fee Plaza(s) for net road length specified for such fee plaza(s), namely: -

Location of Fee Plaza (chainage)	Influence Section (design chainage)	Road Length (in km) for which Fee is payable	Rate at which fee is payable
(1)	(2)	(3)	(4)
Existing chainage at Km 108.830 (Km 108.025 design chainage) near Village Aksada, Basti District on NH-233	Km 65.870 to Km 122.300 (excluding common length of 2.64 km from km 95.740 to km 98.380)	54.028 Km (Excluding length of structures > 60 m)	60% of the base rates mentioned in Table-1 above

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60 m at the following fee plaza(s), by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalisation factor of 10: -

Location of Fee Plaza (chainage)	Length of structures (in km) to be converted into equivalent road length	Equivalent Road length (in km)	Rate at which fee is payable
Existing chainage at Km 108.830 (Km 108.025 design chainage) near Village Aksada, Basti District on NH-233	0.362*	3.62	60% of the base rates mentioned in Table-1 above
<b>Total Length</b>	<b>0.362</b>	<b>3.62</b>	

\*Details of structure having length more than 60m is as under:

S. No.	Structure having length more than 60 m			Length (km.)
	Location of Structure (Chainage Km)			
	From	To	Structure	
1	91.2447	91.3723	ROB	0.1276
2	90.600	90.7271	2- Lane flyover	0.1271
3	98.9650	99.0170	4- Lane flyover on NH-233 & balance i.e. 55.55m length of NH-28 (4 lane overpass length = 107.55m)	0.10755
<b>Total</b>				<b>0.36225</b>

3. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the fee plaza is Rs.265 (Rupees Two Hundred and sixty-five only) for the year 2019-20 and is subject to revision every year as per the provisions of the said rules.

4. For multiple journey on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely: -

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

5. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the specified rate for that category of vehicle, provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

6. The driver or owner or a person in charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to the fee specified in Sub-rule 1A of rule 10 of the said rules and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

7. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road, etc. shall be as per definitions specified in the said rules.
8. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rule 12 of the said Rules.
9. Based on the base rate of fee per kilometer for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of completed length of the section and revised annually in accordance with the Rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper, in English and vernacular language.
10. The estimated capital cost of the project is Rupees 645.08 Crore. The capital cost is subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, tree cutting etc. are yet to be completed. The final capital cost will be notified separately. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realized and after recovery of the capital cost, the fee leviable shall be reduced to 40% of the rates and shall be revised annually in accordance with the said rules.

[F. No. NHAI/13013/CO/18-19/GC-Rudhali-Ghaghra]

PRIYANK BHARTI, Jt. Secy.